झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

संoसंo–14 / स्था॰–02–17 / 2017:– .... / राँची, दिनांक : ....

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री कृष्णा नन्द ठाकुर ने जबकि वे प्रभारी कानुनगो विशेष भू–अर्जन कार्यालय सं॰–3, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है, जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेखित है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री कृष्णा नन्द ठाकुर प्रभारी कानुनगो के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम– 17 के अन्तर्गत विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2. श्री कृष्णा नन्द ठाकुर प्रभारी कानुनगो से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री मनोज कुमार सिंह, सचिव (प्रावै॰), प्रशासक कार्यालय, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर विभागीय जाँच पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग करने के लिए श्री विनय कुमार मिश्र, विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी सं॰ 03 को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि वे संकल्प की एक प्रति अनुबंध के साथ श्री मनोज कुमार सिंह, सचिव (प्रावै॰), प्रशासक कार्यालय, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर / श्री विनय कुमार मिश्र, विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी सं॰ 03, आदित्यपुर /श्री कृष्णा नन्द ठाकुर, प्रभारी कानुनगो, विशेष भू–अर्जन कार्यालय सं॰–3, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक –../ राँची, दिनांक– ....

प्रतिलिपि : अनुबंध की प्रति के साथ श्री मनोज कुमार सिंह, सचिव (प्रावै॰), प्रशासक कार्यालय, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर / श्री विनय कुमार मिश्र, विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी सं॰ 03, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर /श्री कृष्णा नन्द ठाकुर, प्रभारी कानुनगो, विशेष भू–अर्जन कार्यालय सं॰–3, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करेगें साथ ही साथ कार्यवाही की अद्यतन स्थिति से अवगत कराते रहेगें एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख/कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा विलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

अनु॰–यथोक्त।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक –3590/ राँची, दिनांक– 09/7/19

प्रतिलिपि : –प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/अपर निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपेन्द्र 08/7/19

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग।